राजस्थान सरकार
वित्त (राजस्व) विभाग

क्रमांकः प.1(67)वित्त/राजस्व/2021 जयपुर, दिनांकः–24.04.2021

<u>आदेश</u>

विषयः–**राजस्व अर्जित करने वाले विभागों से संबंधित गतिविधियों के सम्बन्ध में कोविड–19 की दूसरी लहर के दृष्टिगत गाईड लाइन्स।**

कोविड–19 की दूसरी लहर के दृष्टिगत गृह विभाग द्वारा दिनांक 14.04.2021 तथा 23.04.2021 को विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये है। गृह विभाग के आदेश दिनांक 23.04.2021 के बिन्दु संख्या 11 में सरकार द्वारा अनुमत राजस्व अर्जन गतिविधियों के सम्बन्ध में दिशा निर्देश जारी करने के लिये वित्त विभाग को अधिकृत किया है। तद्नुसार वित्त (राजस्व) विभाग द्वारा निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं:–

(1) **<u>राजस्व अर्जन संबंधी कार्यालयः</u>**– वाणिज्यिक कर विभाग, आबकारी विभाग, RSBCL तथा RSGSM, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, परिवहन विभाग एवं खनिज विभाग के सभी कार्यालय जन अनुशासन पखवाड़े के दौरान गृह विभाग के आदेश दिनांक 23.04.2021 के अनुसार खुले रहेंगे, किन्तु सभी कार्यालयों का समय सांय 04:00 बजे तक रहेगा। परन्तु Public Dealing का कार्य बैंको की भांति मध्याह्न 02:00 बजे तक ही रहेगा।

उपरोक्त विभागों से सम्बन्धित राजस्व संग्रहण गतिविधियां पूर्व की भांति निरन्तर जारी रहेंगी।

(2) **<u>आबकारी दुकानें</u>**:– आबकारी दुकानें गृह विभाग के आदेश दिनांक 23.04.2021 के बिन्दु संख्या 7 में वर्णित अन्य दुकानों की भांति प्रातः 06:00 बजे से प्रातः 11:00 बजे तक खुली रहेंगी। शनिवार एवं रविवार को "Weekend Curfew" के समय दुकानें पूर्णतः बन्द रहेंगी।

(3) **<u>खनन गतिविधियां</u>**:– यथावत जारी रहेंगी। खनन गतिविधियों को गृह विभाग के आदेश दिनांक 14.04.2021 के बिन्दु संख्या 1 के अन्तर्गत फैक्ट्रियों की श्रेणी में सम्मिलित करते हुये इन पर रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू नहीं होगा।

सामाजिक दूरी रखते हुए मास्क का प्रयोग करते हुए गृह विभाग द्वारा जारी अन्य सभी गाईड लाइन्स की पालना कराने की पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित विभागों के विभागाध्यक्षों की होगी।

यह आदेश दिनांक 25.04.2021 को प्रातः 05:00 बजे से प्रभावी होगा।

24/4/21
(टी. रविकान्त)
शासन सचिव, वित्त (राजस्व)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है:-

1. सचिव, राज्यपाल महोदय।
2. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, गृह/परिवहन विभाग।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री महोदय।
7. महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, अजमेर।
8. आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर।
9. आयुक्त, आबकारी विभाग, उदयपुर।
10. समस्त सम्भागीय आयुक्त।
11. समस्त महानिरीक्षक रेंज, पुलिस।
12. समस्त जिला कलक्टर।
13. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक।
14. कार्यकारी निदेशक, आरएसबीसीएल, जयपुर।
15. महाप्रबंधक, आरएसजीएसएम, जयपुर।
16. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग।
17. रक्षित पत्रावली।

शासन सचिव, वित्त (राजस्व)